आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ,कुमारगंज, अयोध्या के प्रबन्ध परिषद की 187 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 26–06–2020

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन, अष्टमतल ,विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर , लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 1.30 बजे ।

उपस्थिति :

1– डा0 बिजेन्द्र सिंह , कुलपति	– अध्यक्ष
2– श्री बावन सिंह , माननीय सदस्य विधान सभा	– सदस्य
3– श्री बाबा गोरखनाथ , माननीय सदस्य विधान सभा	– सदस्य
4– श्री वी0एस0सिंह , विशेष सचिव , कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव , कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,उ0प्र0शासन ।	– सदस्य
5– श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा ,अपर निदेशक कोषागार, लखनऊ प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त विभाग, उ0प्र0शासन	– सदस्य
6– डा0 बी0पी0सिंह, निदेशक कृषि ,उ0प्र0	– सदस्य
7– डा0 यू0पी0सिंह , निदेशक पशुपालन, उ0प्र0	– सदस्य
8–डा0 ए0डी0पाठक, निदेशक ,आई0आई0एस0आर0 ,प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0	– सदस्य
9– श्रीमती मुन्नी शर्मा, महिला सामाजिक कार्यकर्त्री	– सदस्या
10– श्री नीरज श्रीवास्तव, वित्त नियंत्रक	– सचिव

बैठक के प्रारम्भ में नवागत माननीय कुलपति डा0 बिजेन्द्र सिंह का माननीय सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया तथा बैठक में प्रथम बार भाग लेने वाले श्री बावन सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा एवं श्री नीरज श्रीवास्तव ,वित्त नियंत्रक/सचिव को माननीय कुलपति जी ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया । श्री नीरज श्रीवास्तव ,वित्त नियंत्रक/सचिव ने नवागत कुलपति डा0 बिजेन्द्र सिंह को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया तथा माननीय कुलपति का प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों से परिचय कराया गया । कुलपति/अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय को आई0सी0ए0आर0 /राज्य सरकार /अन्य संस्थाओ से शोध हेतु प्राप्त परियोजनाओं एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न किया कलापों के बारे

में माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया जिस पर प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा कुलपति महोदय के प्रयासों एवं कार्यो की भूरि –भूरि प्रशंसा की गयी । कुलपति महोदय ने प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि कोरोना संकमण के कारण लाक डाउन की अवधि मे भी विश्वविद्यालय की आवश्यक गतिविधियॉ यथा आन लाइन शिक्षण, शोध एवं प्रसार का कार्य निर्बाधरूप से संचालित कर छात्र छात्राओं ,कृषको एवं कृषि क्षेत्र से जुडे अन्य लोगो तक जानकारी एव सहयोग प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता /निदेशक /अन्य अधिकारी/कर्मचारी विश्वविद्यालय के उत्तरोत्तर प्रगति हेतु लगातार कार्य कर रहे है व कृषि के क्षेत्र में प्रदेश व देश ही नही अपितु विश्व के पटल पर भी आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एव प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने के लिए विश्वविद्यालय परिवार प्रतिबद्व है ।

माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया कि सीमित संसाधनों में विश्वविद्यालय के एक्रीडेशन हेतु नैक मूल्यांकन का कार्य माह दिसम्बर 2019 में सकुशल सम्पन्न कराया गया जिसमें विश्वविद्यालय के समस्त वैज्ञानिकों/कार्मिकों द्वारा पूर्ग सहयेाग प्रदान किया गया। कुलपति महोदय ने शासन से प्रासंगिक व्ययो हेंतु कम अनुदान प्राप्त होने तथा पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में कार्यरत कार्मिको के वेतन हेतु प्राप्त हो रहे कम अनुदान के संबंध में अवगत कराया गया तथा माननीय सदस्यों से अपेक्षा व्यक्त की, कि वे अनुदान मे वृद्वि किये जाने मे अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0 187:1 प्रबन्ध परिषद की गत 185वीं बैठक दिनांक 28–06–2019 एवं 186वीं बैठक दिनांक 30–07–2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

प्रबन्ध परिषद की गत 185वीं बैठक दिनांक 28–06–2019 एवं 186वीं बैठक दिनांक 30–07–2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव सं0187: 2 प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना बैठक में प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यो के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिससे प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुए एवं कृत कार्यवाही से सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए कुछ बिन्दुओ पर निम्नवत निर्णय लिये गये :–

185वीं बैठक अन्य निर्णय बिन्दु–4

श्री अनिल कुमार यादव, कार्यालय अधीक्षक कम लेखाकार की नियुक्ति संबंधी पत्रावली की जॉच के संबंध मे ।

श्री बाबा गोंरखनाथ, माननीय सदस्य प्रबन्ध परिषद ने श्री अनिल कुमार यादव , कार्यालय अधीक्षक की नियुक्ति संबंधी पत्रावली की जॉच कराने तथा अभिलेख प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया । प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यो द्वारा उनके प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी ।

प्रस्ताव सं187:3 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ,कुमारगंज ,अयोध्या के वित्तीय वर्ष 2019–20 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2020–21 अनुमानित आय व्ययक पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2019–20 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2020–21 अनुमानित आय व्ययक पर सम्यक विचारोपरान्त परिशिष्ट–क के अनुसार आय व्ययक के अनुमोदनार्थ सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी । प्रमुख सचिव वित्त के नामित सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि कोविड–19 के दृष्टिगत समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय जिस पर अन्य सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से वित्त उपसमिति की संस्तुति के कम में वित्तीय वर्ष 2019–20 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2020–21 का अनुमानित आय व्ययक परिशिष्ट–क के अनुसार अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0187:4 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शोध निदेशालय के अधीन संचालित मुख्य प्रयोग केन्द्र कुमारगंज, स्टेट नान प्लान में सृजित फार्म ओवरसियर पद को अवर अभियन्ता पद में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से शोध निदेशालय के अधीन संचालित मुख्य प्रयोग केन्द्र कुमारगंज, स्टेट नान प्लान में सृजित फार्म ओवरसियर पद का नाम अवर अभियन्ता पदनाम में परिवर्तित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0187:5 विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मानदेय के आधार पर पुनः कार्य पर लगाये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव में उल्लिखित पदों से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत मानदेय के आधार पर पुनः कार्य पर लगाये जाने की संस्तुति इस आशय से प्रदान की गयी कि उनके मानदेय का निर्धारण शासनादेशानुसार उनको प्राप्त होने वाले अन्तिम माह के वेतन में से पेंशन की धनराशि को घटाते हुए , प्राप्त धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाय । सेवानिवृत्त कार्मिकों को छः छः माह की अवधि के लिए लगाया जाय एवं अधिकतम सीमा 02 वर्ष से अधिक एवं आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए । इसके साथ ही प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में दो सेवानिवृत्त कर्मिकों डा0 मनोज सिंह, सेवानिवृत्त शोध सहायक तथा श्री नियाज खॉ ,चालक को क्रमशः रू0 35000/– तथा रू0 18000/– प्रतिमाह के मानदेय पर कार्य पर लगाये जाने की कार्योत्तर संस्तुति की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुतिं को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0187:6 कृषि निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ, द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत **"Strengthening of Seed Production Farms"** परियोजना को विश्वविद्यालय में कियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत Strengthening of Seed Production Farms" परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0187:7 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना **"Production of elite germplasm Through Embryo Transfer technique in bovine"** को इस विश्वविद्यालय में 1 वर्ष के लिए कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "Production of elite germplasm Through Embryo Transfer technique in bovine" को इस विश्वविद्यालय में 1 वर्ष के लिए संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव सं0187:8 अ–भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ,राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियेाजना ,कैब–।। ,पूसा ,नई दिल्ली –110012 द्वारा वित्त पोषित **"Strengthening and Modernization of Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Ayodhya to make the university ready for Accreditation"** नामक योजना को विश्वविद्यालय में कियान्वित करने के परिप्रेक्ष्य में विचार एवं निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में कियान्वित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ,राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियेाजना ,कैब–।।, पूसा , नई दिल्ली –110012 द्वारा वित्त पोषित "Strengthening and Modernization of Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Ayodhya to make the university ready for Accreditation" नामक योजना को संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

ब– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ,राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियेाजना,कैब–।। ,पूसा ,नई दिल्ली –110012 द्वारा वित्त पोषित **"Strengthening and Modernization of Acharya Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Ayodhya to make the university ready for Accreditation"** नामक परियोजना के परियोजना प्रभारी **(PI)** /नोडल आफिसर को पदेन ,परियोजना से संबंधित आहरण एवं वितरण संबंधी समस्त वित्तीय अधिकार दिये जाने के संबधं में विचार एवं निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ,राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियेाजना ,कैब–।।, पूसा ,नई दिल्ली–110012द्वारा वित्त पोषित "Strengthening and Modernization of Acharya Narendra Deva University of Agriculture&Technology,Kumarganj,Ayodhya to make the university ready for Accreditation

नामक परियोजना में आई0सी0ए0आर0 द्वारा दिये गये निर्देशों के कन में परियोजना से संबंधित आहरण एवं वितरण संबंधी समस्त वित्तीय अधिकार , पदेन , परियोजना प्रभारी (PI) /नोडल आफिसर को प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव 187:9 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं0 81 के लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म– 796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना 02– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना "**Enhancement of livelihood of Tharu Community through Back Yard Poultry and Goat Husbandry** "परियोजना 0205– कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनाएं (के.60/रा.40–के.+रा.) के अन्तर्गत मानक मद–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृज्न को इस विश्वविद्यालय में 2 वर्ष के लिए कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं0 81 के लेखाशीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म– 796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना 02– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना "Enhancement of livelihood of Tharu Community through Back Yard Poultry and Goat Husbandry" परियोजना 0205– कृषि शिक्षा एवं शोध की योजनाए (के.60/रा.40–के.+रा.) के अन्तर्गत मानक मद–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन को इस विश्वविद्यालय में 2 वर्ष के लिए संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0187:10 भारत सरकार के वित्त पोषण से जनपद बहराइच में कृषि विज्ञान केन्द्र, नानपारा ,बहराइच के कार्यालय हेतु मकान किराया पर लिये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से जनपद बहराइच में कृषि विज्ञान केन्द्र, नानपारा, बहराइच के कार्यालय हेतु भवन का किराया रू0 5500/–प्रतिमाह एवं बिजली बिल मीटर रीडिंग के अनुसार अलग से भुगतान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0187:11 भारत सरकार के वित्त पोषण से जनपद गोण्डा में कृषि विज्ञान केन्द्र, मनकापुर ,गोण्डा के कार्यालय हेतु मकान किराये पर लिये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से जनपद गोण्डा में कृषि विज्ञान केन्द्र, मनकापुर ,गोण्डा के कार्यालय हेतु भवन का किराया रू0 4048/–प्रतिमाह एवं बिजली बिल मीटर रीडिंग के अनुसार अलग से भुगतान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0 187:12 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रसार निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों पर **DAMU, CSISA, CRM** परियोजना को संचालित किये जाने का अनुमोदन प्रदान करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रसार निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कियान्वित DAMU, CSISA, CRM परियोजना को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0 187:13 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रसार निदेशालय द्वारा संचालित 06 कृषि विज्ञान केन्द्रों (मऊ, वाराणसी , बलरामपुर , गोरखपुर , सोनभद्र एवं चन्दौली) पर सेन्टर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रसार निदेशालय द्वारा संचालित 06 कृषि विज्ञान केन्द्रों (मऊ, वाराणसी , बलरामपुर , गोरखपुर , सोनभद्र एवं चन्दौली) पर सेन्टर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0 187:14 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय , जैव प्रोद्यौगिकी विभाग ब्लाक–2,6–8 फलोर सीजीओ काम्पलेक्स , लोधी रोड नई दिल्ली –110003, भारत सरकार के पत्रांक स0 बी0टी0/ए0जी0/नेटवर्क /गेहूँ /2019–20 दिनांक 29/02/2020 के आदेश द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में कियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय , जैव प्रोद्यौगिकी विभाग द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित " Germplasm characterization and trait discovery in Wheat using genomics approaches and its integration for improving climate Resilience, productivity and nutrition quality" परियोजना को इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0 187:15 उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय , कुमारगंज, अयोध्या में आई0सी0ए0आर0 की पंचम डीन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार कृषि महाविद्यालय के अन्तर्गत **Ph.D.(Horticulture)** की उपाधि के स्थान पर **Ph.D.(Fruit Science)** की उपाधि तथा **Ph.D.(Vegetable Science)** की उपाधि के स्थान पर **Ph.D.(Vegetable Science)** की उपाधि के नामकरण के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय ,कुमारगंज , अयोध्या में आई0सी0ए0आर0 की पंचम डीन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार कृषि महाविद्यालय के अन्तर्गत Ph.D.(Horticulture) की उपाधि के स्थान पर Ph.D.(Fruit Science) की उपाधि तथा Ph.D.(Vegetable Science) की उपाधि के स्थान पर Ph.D.(Vegetable Science) की उपाधि के नामकरण किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

प्रस्तावसं0 187:16 गृह विज्ञान महाविद्यालय , कुमारगंज, अयोध्या का नाम आई0सी0ए0आर0 की पंचम डीन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय ,कुमारगंज, अयोध्या किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से गृह विज्ञान महाविद्यालय , कुमारगंज, अयोध्या का नाम आई0सी0ए0आर0 की पंचम डीन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय ,कुमारगंज, अयोध्या किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

प्रस्तावसं0 187:17 सामुदायिक विज्ञान (गृह विज्ञान) महाविद्यालय , कुमारगंज, अयोध्या में आई0सी0ए0आर0 की पंचम डीन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार स्नातक एव परास्नातक उपाधियों के नामकरण को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से सामुदायिक विज्ञान (गृह विज्ञान) महाविद्यालय ,अयोध्या में आई0सी0ए0आर0 की पंचम डीन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार प्रस्ताव में उल्लिखित स्नातक एवं परास्नातक उपाधियों के नामकरण को संशोधित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

प्रस्तावसं0 187:18 उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय , कुमारगंज, अयोध्या में आई0सी0ए0आर0 की पंचम डीन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार विभागों के पुर्नगठन एवं स्थापना के सम्बन्ध में विचार एव निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय , कुमारगंज, अयोध्या में आई0सी0ए0आर0 की पंचम डीन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार प्रस्ताव में उल्लिखित विभागों के पुर्नगठन एवं स्थापना किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

प्रस्तावसं0187:19 उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय , कुमारगंज, अयोध्या में आई0सी0ए0आर0 की पंचम डीन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार विभागों के पुर्नगठन को संज्ञान में लेते हुए **M.Sc.(Forestry) Silviculture and Agroforestry** तथा **Ph.D. Silviculture and Agroforestry** उपाधि के नामकरण एवं अर्हता के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय , कुमारगंज, अयोध्या में आई0सी0ए0आर0 की पंचम डीन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार विभागों के पुर्नगठन को संज्ञान में लेते हुए M.Sc.(Forestry) Silviculture and Agroforestry तथा Ph.D. Silviculture and Agroforestry उपाधि के नामकरण एवं अर्हता संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

प्रस्तावसं0187:20 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय , अयोध्या के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों के संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।

वित उपसमिति द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को पूर्व में प्रदत्त वित्तीय अधिकारों में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विस्तृत वेचार विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावानुसार प्रस्ताव में उल्लिखित सीमा तक वित्तीय अधिकार संशोधित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई ।

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक / सचिव
प्रबन्ध परिषद

(डा0बिजेन्द्र सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

आचर्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।
पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0 / 8 / प्र0परि0–187वी बैठक / लेखा / 2020 / 298 दिनांक 27-06-2020

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक / सचिव
प्रबन्ध परिषद

परिशिष्ट–क

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज ,अयोध्या

आय–व्ययक पुनरीक्षित वर्ष 2019–20 एवं अनुमान वर्ष 2020–21 (धनराशि रू0 लाख में)

कमांक	मुख्य लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित व्यय वर्ष 2019–20	प्रस्तावित अनुमान वर्ष 2020–21
1	2	3	4
1	राज्य सरकार राजस्व		
क	कृषि विश्वविद्यालय	6566.89	8649.13
ख	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	1268.91	2182.72
ग	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर,	243.01	454.50
घ	कृषि महाविद्यालय कैम्पस आजमगढ	280.76	431.96
छ	प्रसार योजनाओं का सुदृढीकरण(कृषि ज्ञान केन्द्रो हेतु)	2.00	2.00
ज	तकनीकी प्रशिक्षण	0.00	10.00
झ	नये प्रवेशकों पर नयी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	117.76	1307.40
ट	विभिन्न महाविद्यालयो के प्रयोगशालाओं , छात्रावासो , प्रक्षेत्रों , अनुपयुक्त भूमि का अनुरक्षण/ सुदृढीकरण , छात्रों द्वारा शोध कार्य एवं वर्षा जल संचयन हेतु	210.77	0.00
	योग (राज्य सरकार राजस्व)	8690.10	13037.71
2	राज्य सरकार राजस्व/पूँजीगत		
	राजस्व		
क	भारतीय कृषि अनु0 परि0 के सहयोग से संचालित परियोजनाओ हेतु 75:25प्रतिशत परियोजनाओ हेतु 25 प्रतिशत राज्यांश	250.62	393.72
ख	विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य	792.42	662.23
ग	रावे पर व्यय(25 प्रतिशत)	0.00	5.00
घ	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में वी0वी0एस0सी0एण्ड ए0एच0 पाठ्यकम के अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु इन्टर्नशिप कार्यकम हेतु राज्यांश	0.0C	1.50
च	कृषि विश्वविद्यालय में सेन्टर आफ एक्सीलेन्स (धान पर अनुसंधान हेतु)	94.18	100.00

	कृषि विज्ञान केन्द्रो को सेन्टर आफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित किया जाना	0.00	200.00
	राजस्व /पूँजीगत		
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	158.96	3093.43
	योग (राज्य सरकार राजस्व/पूँजीगत)	1296.18	4455.88
3	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित योजनाएं		
क	शत प्रतिशत वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु	2307.46	3314.46
ख	शत प्रतिशत वित्त पोषित शोध योजनाओं हेतु	112.90	386.19
ग	केन्द्रीय सहायता एन0टी0एस0	0.00	100.00
घ	रावे पर व्यय (75 प्रतिशत)	0.00	20.00
च	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	0.00	50.00
	नाहेप योजना(NAHEP)	25.50	138.81
छ	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा 75:25 प्रतिशत के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु (75 प्रतिशत धनराशि)	751.87	1181.19
ज	शिक्षकों के यू0जी0सी0एरियर के भुगतान हेतु	22.83	1016.99
	योग	3220.56	6207.64
4	अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनायें	110.41	48.26
	योग	110.41	48.26
5	चक्रीय निधि	723.86	981.57
	योग	723.86	981.57
	सम्पूर्ण योग (1 से 5तक)	14041.11	24731.06

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ,कुमारगंज, अयोध्या के प्रबन्ध परिषद की 188 वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 12–10–2020

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डी भवन, अष्टमतल ,विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर , लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 1.30 बजे ।

उपस्थिति :

1– डा0 बिजेन्द्र सिंह , कुलपति	– अध्यक्ष
2– श्री बृजराज सिंह यादव , विशेष सचिव , कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव , कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,उ0प्र0शासन ।	– सदस्य
3– श्री मदन राजा मौर्या ,संयुक्त निदेशक कोषागार, लखनऊ प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त विभाग, उ0प्र0शासन	– सदस्य
4– डा0 एस0 के0 सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक प्रतिनिधि निदेशक कृषि ,उ0प्र0	– सदस्य
5– डा0 अविनाश चन्द्र सचान , संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन), प्रतिनिधि निदेशक पशुपालन ,उ0प्र0	– सदस्य
6– डा0 ए0डी0पाठक, निदेशक ,आई0आई0एस0आर0 ,प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0	–सदस्य
7– श्री विजय बहादुर दूबे, पशु प्रजनक	– सदस्य
8– श्री गंगा सागर राय , प्रख्यात उद्योगपति	– सदस्य
9 –श्री राम सुन्दर चौधरी, प्रगतिशील कृषक	– सदस्य
10– श्रीमती मुन्नी शर्मा, महिला सामाजिक कार्यकर्त्री	– सदस्या
11– श्री नीरज श्रीवास्तव, वित्त नियंत्रक	– सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति ने बैठक में प्रथ्म बार भाग लेने वाले नवागत माननीय सदस्य प्रबन्ध परिषद श्री गंगा सागर राय , प्रख्यात उद्योगपति , श्री विजय बहादुर दूबे ,पशु प्रजनक एवं श्री राम सुन्दर चौधरी , प्रगतिशील कृषक को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया तथा बैठक में प्रथम बार भाग लेने वाले श्री बृजराज सिंह यादव , विशेष सचिव , कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, श्री मदन राजा मौर्या ,संयुक्त निदेशक कोषागार लखनऊ का स्वागत किया गया तथा प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों से परिचय कराया गया। कुलपति/अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय को आई0सी0ए0आर0 /राज्य सरकार /अन्य संस्थाओ से शोध हेतु प्राप्त परियोजनाओं एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न किया कलापों के बारे में माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया जिस पर प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा कुलपति महोदय के प्रयासों एवं कार्यो की भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी। माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय का नैक मूल्यांकन में सफलता प्राप्त होने की सूचना से

प्रबन्ध परिषद को अवगत कराया गया। कुलपति महोदय ने शासन से प्रासंगिक व्ययो हेतु कम अनुदान प्राप्त होने तथा पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में कार्यरत कार्मिको के वेतन हेतु प्राप्त हो रहे कम अनुदान के संबंध में अवगत कराया गया तथा माननीय सदस्यों से अपेक्षा व्यक्त की, कि वे अनुदान मे वृद्वि किये जाने मे अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें, तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0 188:1 प्रबन्ध परिषद की गत 187वीं बैठक दिनांक 26–06–2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

प्रबन्ध परिषद की गत 187वीं बैठक दिनांक 26–06–2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव सं0188: 2 प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना बैठक में प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यो के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिससे प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुए ।

प्रस्तावसं0188:3 इस विश्वविद्यालय की वित्त उप समिति में प्रबन्ध परिषद के एक गैर सरकारी सदस्य को नामित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय की वित्त उप समिति में श्री गंगा सागर राय,प्रख्यात उद्योगपति माननीय सदस्य प्रबन्ध परिषद को एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

प्रस्तावसं0188:4 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली के वित्त पोषण से जनपद श्रावस्ती में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्र जनपद श्रावस्ती में स्थापित किये जाने एवं स्वीकृत पदों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गाइड लाइन के अनुसार नियमित नियुक्ति किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0188:5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली के वित्त पोषण से DAMU परियोजना फेज–द्वितीय को जनपद अम्बेडकरनगर,अमेठी, बस्ती ,महराजगंज एवं संतकबीरनगर में संचालित किये जाने पर विचार एव निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ,नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित DAMU परियोजना फेज–द्वितीय को वित्तीय वर्ष 2020–21 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद अम्बेडकरनगर,अमेठी, बस्ती ,महराजगंज एवं संतकबीरनगर में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0188:6 विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त श्री वी0डी0सिंह, मीटर रीडर को 02 वर्ष से अधिक की अवधि एवं 65 वर्ष की आयु तक मानदेय के आधार पर कार्य पर लगाये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के भवनों के सिविल एवं विद्युत अनुरक्षण तथा जलापूर्ति , विद्युत आपूर्ति तथा आवासों के विद्युत मीटर रीडिंग के कार्य हेतु विश्वविद्यालय में स्थापित निर्माण निदेशालय में कुल 15 तकनीकी पद सृजित है जिसके सापेक्ष वर्तमान में 06 पद ही भरे है शेष 09 पद रिक्त है तथा 06 भरे पदों मे से भी एक अवर अभियंता (सिविल) दिनांक 31–10–2020 को सेवानिवृत्त हो जायेगा। वर्तमान में विद्युत कार्यो हेतु सृजित सहायक अभियन्ता (विद्युत) ,अवर अभियन्ता (विद्युत) एवं मीटर रीडर के पद रिक्त है जिससे विद्युत संबंधी कार्यो/अनुरक्षण का कार्य कराने हेतु विश्वविद्यालय के पास कोई नियमित तकनीकी कर्मी उपलब्ध नही है। विश्वविद्यालय का विद्युत अनुरक्षण /विद्युत कार्य तथा आवासों के विद्युत मीटर रीडिंग का कार्य प्रभावित न हो ,के दृष्टिगत श्री वी0डी0 सिंह जो मीटर रीडर के पद से दिनांक 30 नवम्बर 2016 को सेवानिवृत्त हुये है , की सेवायें उनकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त छः छः माह की अवधि के लिए अद्यतन ली जा रही है । चूँकि सृजित रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति उ0प्र0 शासन से प्राप्त नही है ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्त कार्मिक के अतिरिक्त नये कार्मिक को कार्य पर लगाया जाना तब तक उचित नही है जब तक कि नियमित नियुक्ति नही हो जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को मानदेय पर रखने पर उसका भुगतान विश्वविद्यालय अपने निजी श्रोतो से करता है । विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध मे अनुमति प्रदान करने हेतु वित्त उप समिति एवं प्रबन्ध परिषद सक्षम है । वित्त उप समिति एवं प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन के उपरान्त ऐसे प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान करती है । अतः विशेष परिस्थितियों में कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए श्री वी0डी0सिंह, सेवानिवृत्त मीटर रीडर की सेवायें छः छः माह की अवधि पर मानदेय के आधार पर 65 वर्ष की आयु तक कार्य पर लगाये जाने की संस्तुति वित्त उप समिति द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि भविष्य में इसे दृष्टान्त नही समझा जायेगा । श्री वी0डी0सिंह को भुगतान की होने वाले मानदेय का व्यय विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0188:7 उत्तर प्रदेश कृषि अनूसंधान परिषद लखनऊ के पत्रांक संख्या 272/सीएस/131(के)./2020–21 दिनांक 27–07–2020 द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में कियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश कृषि अनूसंधान परिषद लखनऊ द्वारा स्वीकृत परियोजना जेनेटिक इम्प्रूवमेन्ट आफ कालानमक फार प्रोडक्टिविटी ट्रेटस, बायोकिम एण्ड

एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेन्स ,एरोमा एण्ड न्यूट्रीशनल क्वालिटी योजना को इस विश्वविद्यालय में 3 वर्ष के लिए संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी!

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0188:8 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के स्वामित्व की जनपद सुल्तानपुर में खसरा संख्या 843 मि0 कुल भूमि 12.7960 हेक्टेअर का अंश 0.41242 हेक्टेअर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–330ए(जगदीशपुर –अयोध्या खुण्ड) परियोजना के निर्माण हेतु अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्त धनराशि रू0 17444575/– के संबंध में सूचनार्थ प्रस्तुत ।

विश्वविद्यालय के स्वामित्व की जनपद सुल्तानपुर में खसरा संख्या 843 मि0 कुल भूमि 12.7960 हेक्टेअर का अंश 0.41242 हेक्टेअर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–330ए(जगदीशपुर –अयोध्या खण्ड) परियोजना के निर्माण हेतु अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के रूप में प्राप्त धनराशि रू0 17444575/– के बारे में वित्त उप समिति को अवगत कराया गया तथा उक्त धनराशि को नया खाता खोलकर जमा किये जाने की सूचना से वित्त उप समिति अवगत हुयी । वित्त उप समिति द्वारा मुआवजे के रूप में प्राप्त धनराशि रू0 17444575/– का व्यय विश्वविद्यालय के अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यो हेतु वित्त उप समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन के उपरान्त ही किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

प्रबन्ध परिषद उक्त सूचना से अवगत हुयी तथा वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0188:9 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना Establishment of Agriculture Technology Park "को इस विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एव निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत Establishment of Agriculture Technology Park परियोजना को एक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0188:10 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत परियोजना द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित योजना "Strengthening of Krishi Vigyan Kendra "को इस विश्वविद्यालय में एक वर्ष के लिए कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत "Strengthening of Krishi Vigyan Kendra " परियोजना को एक वर्ष के लिए इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0188:11 आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय,कुमारगंज, अयोध्या के अधीन शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं यू0जी0सी0 मानक के अनुरूप नियुक्ति की निर्धारित अर्हता में कतिपय आंशिक संशोधन किए जाने हेतु प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचार एवं निर्णय ।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्यौगिक विश्वविद्यालय,कुमारगंज, अयोध्या के अधीन शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं यू0जी0सी0 मानक के अनुरूप नियुक्ति की निर्धारित अर्हता में प्रस्तावानुसार निम्नवत आंशिक संशोधन किए जाने का अंनुमोदन किया गया ।

पदनाम	वेतनमान	वर्तमान निर्धारित योग्यता	संशोधन हेतु प्रस्तावित अधिमानी अर्हता
ASSTT PROFESSOR	At academic level 10 with rationalized entry pay of Rs.57700/ (Pay Band Rs. 15600-39100 AGP Rs.6000)	A Master's Degree in concerned discipline with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) from an Indian University or equivalent degree from recognized foreign university. NET shall remain compulsory for recruitment to the post of Assistant Professor and equivalent in the discipline in which NET is conducted.(Provided however, that candidates ,who are or have been awarded a Ph.D. degree in accordance with the University Grants Commission(Minimum Standards and Procedure for Award of Ph. D.Degree) Regulations, 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC/ICAR, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor). Further, the award of degrees to candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing ordinances/ by laws / regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph,D. candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment of Assistant Professor.	(1) Ph.D. relevant discipline (2)Two years experience Teaching / Research / Extension after Master's degree in concerned discipline.

प्रस्तावसं0188:12 **विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु पूर्व में विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व का विज्ञापन निरस्त करते हुए पुनः विज्ञापन किए जाने हेतु प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु पूर्व में विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व का विज्ञापन निरस्त करते हुए प्रस्ताव में उल्लिखित पदों को पुनः विज्ञापित किए जाने की संस्तुति प्रदान की गयी। वित्त उप समिति द्वारा पूर्व में विज्ञापित पदो के सापेक्ष प्राप्त आवेदन शुल्क को संबधित आवेदक को वापस किये जाने की भी संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0188:13 **उत्तर प्रदेश कृषि अनूसंधान परिषद लखनऊ के पत्रांक संख्या 221/शोध निधि/परि./2020 दिनांक 01–07–2020 द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश कृषि अनूसंधान परिषद लखनऊ के द्वारा स्वीकृत वित्त पोषित " Genetic enhancement for terminal heat tolerance in bread wheat (Triticumm aestivum L.) with conventional and molecular breeding approaches परियोजना को तीन वर्ष के लिए इस विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया

प्रस्तावसं0188:14 **कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश (राष्टीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ) कृषि भवन लखनऊ के पत्रांक संख्या RKVY/401/64-II/30th SLSC/2020-21 दिनांक 21 सितम्बर 2020 द्वारा वित्त पोषित परियोजना को इस विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रकोष्ठ) कृषि भवन लखनऊ द्वारा वित्त पोषित " Collection ,identification and distribution of relatively high iron and zinc containing genotypes among farmers for fulfillment and nutritional requirement of rice eating poor consumers परियोजना को विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2020–21 में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0188:15 **कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार द्वारा स्वीकृत Ergonomic Laboratory for Ergonomic Risk Analysis and reducing health hazard of farm Women परियोजना को विश्वविद्यालय में धन उपलब्ध होने के पश्चात कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार द्वारा स्वीकृत Ergonomic Laboratory for Ergonomic Risk Analysis and reducing health hazard of farm Women परियोजना को विश्वविद्यालय में इस आशय से संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी कि परियोजना का संचालन वित्त पोषित संस्था से अनुदान उपलब्ध होने के पश्चात किया जाय ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0188:16 **कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृति Strengthening of Parasitological laboratory with advance diagnostic facilities for detection of parasitic diseases" परियोजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि निदेशालय ,उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत Strengthening of Parasitological laboratory with advance diagnostic facilities for detection of parasitic diseases " परियोजना को विश्वविद्यालय में इस आशय से संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी कि परियोज्ना का संचालन वित्त पोषित संस्था से अनुदान उपलब्ध होने के पश्चात किया जाय ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0188:17 **कृषि सांख्यिकी विभाग में दो कम्प्यूटर आपरेटर रू0 8000/-प्रतिमाह मानदेय के आधार पर रखने हेतु विचार /निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा शासन के अद्यावधिक शासनादेशों का संज्ञान लेते हुए जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोंसिंग द्वारा तथा उ0प्र0 श्रम विभाग के पारिश्रमिक दरों के अनुरूप भुगतान करने एवं पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में भुगतान का व्यय विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से किये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति की गयी ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0188:18 **विश्वविद्यालय के अधीन राष्ट्रीय बीज परियोजना –षष्टम (NSP-VI) की स्थापना की गयी है। प्रक्षेत्र में पशुओं के लिए चारा उत्पादन एवं चारा फसलों के बीज उत्पादन हेतु डा0 हरनाम सिंह ,अधिष्ठाता , पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय को सेवानिवृत्ति उपरान्त मानदेय पर कार्य पर रखने के सम्बन्ध में विचार एव निर्णय हेतु प्रस्ताव ।**

वित्त उप समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अधीन राष्ट्रीय बीज परियोजना –षष्टम (NSP-VI) की स्थापना की गयी है जिसमें मुख्य रूप से पशुओं के लिए चारा उत्पादन एवं चारा फसलों के बीज उत्पादन किया जाना है तथा उक्त प्रक्षेत्र पर इन्टीग्रेटेड फार्मिंग माडल तैयार किये जाने के साथ–साथ पशुपालन, मत्सय पालन आदि का समावेश किया जायेगा । उक्त कार्य हेतु डा0 हरनाम सिंह जो दिनांक 30 जून 2020 को सेवानिवृत्ति हो गये है , को सेवानिवृत्ति के उपरान्त विश्वविद्यालय नियमानुसार मानदेय पर कार्य पर रखा जाना है ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से डा0 हरनाम सिंह , सेवानिवृत्त अधिष्ठाता , पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय को विश्वविद्यालय नियमानुसार मानदेय की सीमा के अन्तर्गत,अन्तिम आहरित वेतन में से पेंशन की धनराशि धटाते हुए प्राप्त धनराशि जो भी कम हो , के आधार पर कार्य पर लगाये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी । डा0 सिंह को मानदेय के रूप में होने वाले भुगतान का व्यय विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से ही किये जाने की भी संस्तुति की गयी ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0188:19 **विश्वविद्यालय की अवशेष चाहरदीवारी के निर्माण का कार्य एवं उस पर रू0 12.00 लाख के व्यय विश्वविद्यालय के अपने श्रोतो से किये जाने का प्रस्ताव ।**

वित्त उप समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय मुख्य परिसर की चाहरदीवारी में से 07 किमी0 लम्बाई में चाहरदीवारी का निर्माण उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत परियोजना आन्तरिक मार्ग, हाई मास्क इलेक्ट्रिक टावर एवं चाहरदीवारी का निर्माण के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 तक पूर्ण करा लिया गया था । वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना स्ट्रेन्थनिंग आफ सीड फार्म के अन्तर्गत 1045.80 मीटर चाहरदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है। इसके उपरान्त भी लगभग 100 से 120 मीटर लम्बा भाग बच रहा है जिस पर भी चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है ,अन्यथा पूर्व से निर्मित / निमार्णाधीन चाहरदीवारी का पूर्ण लाभ विश्वविद्यालय को प्राप्त नही हो सकेगा । उपर्युक्त के दृष्टिगत चूँकि उक्त अधूरे

भाग 100 से 120 मीटर पर चाहरदीवारी का निर्माण किसी भी योजना में स्वीकृत नही है , के दृष्टिगत उक्त भाग पर चाहरदीवारी का निर्माण कराये जाने पर रू0 12.00 लाख का व्यय होगा । अवशेष चाहरदीवारी के निर्माण पर रू0 12.00 लाख का व्यय विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से वहन किया जायेगा ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय की अवशेष चाहरदीवारी के निर्माण कराये जाने एवं विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से व्यय किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0188:20 उत्तर प्रदेश कृषि अनूसंधान परिषद द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत Development of suitable model to harvest the optimum potential of fish production in sodic soil of Uttar Pradesh परियोजना को इस विश्वविद्यालय में कियान्वित किये जाने पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश कृषि अनूसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत वित्त पोषित " Development of suitable model to harvest the optimum potential of fish production in sodic soil of Uttar Pradesh परियोजना को तीन वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में इस आशय से संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी कि परियोजना का संचालन वित्त पोषित संस्था से अनुदान उपलब्ध होने के पश्चात किया जाय ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई ।

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक / सचिव
प्रबन्ध परिषद

(डा0बिजेन्द्र सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0 / 8 / प्र0परि0–188वी बैठक / लेखा / 2020 / 646 दिनांक 12–10–2020

प्रतिलिपि –माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक / सचिव
प्रबन्ध परिषद

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ,कुमारगंज, अयोध्या के प्रबन्ध परिषद की 189वीं बैठक की कार्यवृत्त

बैठक की तिथि : 05–02–2021

स्थान : सभाकक्ष
उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद,
किसान मण्डीभवन, अष्टमतल ,विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर , लखनऊ ।

समय : अपरान्ह 1.30 बजे ।

उपस्थिति :

1– डा0 बिजेन्द्र सिंह ,कुलपति	– अध्यक्ष
2–श्री अनिल ढींगरा ,विशेष सचिव , कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,प्रतिनिधि प्रमुख सचिव , कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग ,उ0प्र0 शासन ।	–सदस्य
3–श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव ,,क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन	–सदस्य
4– डा0 ओ0पी0 पाण्डेय ,अपर कृषि निदेशक प्रतिनिधि निदेशक कृषि ,उ0प्र0	–सदस्य
5– डा0 ए0.के.प्रसाद ,संयुक्त निदेशक फार्म प्रतिनिधि निदेशक पशुपालन ,उ0प्र0	–सदस्य
6– डा0 उमाशंकर सिंह, कृषि वैज्ञानिक	–सदस्य
7–डा0 ए0डी0 पाठक, निदेशक ,आई0आई0एस0आर0 ,प्रतिनिधि आई0सी0ए0आर0	–सदस्य
8–श्री विजय बहादुर दूबे,पशुप्रजनक	–सदस्य
9–श्री गंगा सागर राय ,प्रख्यात उद्योगपति	–सदस्य
10–श्री राम सुन्दर चौधरी, प्रगतिशील कृषक	–सदस्य
11–श्रीमती मुन्नी शर्मा, महिला सामाजिक कार्यकर्त्री	–सदस्या
12–श्री नीरज श्रीवास्तव, वित्त नियंत्रक	–सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति ने बैठक में भाग लेने वाले प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों का स्वागत किया। कुलपति/अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय को आई0सी0ए0आर0 /राज्य सरकार /अन्य संस्थाओ से शोध हेतु प्राप्त परियोजनाओं एव विश्वविद्यालय के विभिन्न किया कलापों के बारे मे माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया , तदुपरान्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श करते हुये निम्नवत निर्णय लिये गये :–

प्रस्ताव सं0 189:1 प्रबन्ध परिषद की गत 188वीं बैठकदिनांक12–10–2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

प्रबन्ध परिषद की गत 188वीं बैठक दिनांक 12–10–2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

प्रस्ताव सं0189: 2 प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों मे लिये गयें निर्णयो पर कृत कार्यवाही की सूचना ।

प्रबन्ध परिषद की गत बैठकों में ल्यिे गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना बैठक में प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यो के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिससे प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्य अवगत हुए ।

प्रस्तावसं0189:3 चालू शैक्षणिक सत्र में छात्राओं की बढी हुयी संख्या को छात्रावास की सुबिधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राप्ती छात्रावास के बगल में 8 फिट ऊॅची 100 मी0 लम्बी चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं उस पर होने वाले सम्भावित रू0 12.00 लाख के व्यय का विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने पर विचार एव निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । वित उप समिति को अवगत करायागया कि चालू शैक्षणिक सत्र मे छात्राओं की संख्या में वृद्वि हुयी है तथा कोरोना प्रोटोकाल के अनुपालन में नवागन्तुक छात्राओं को एकल रूम की सुबिधा उपलब्ध कराया जाना है।ऐसी स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से राप्ती छात्रावास के बगल में राप्ती छात्रावान के बगल मे स्थित अनोमा पुरूष छात्रावास एवं राप्ती छात्रावास के बींच 8 फिट उॅची 100 मी0 लम्बी चहारदीवरी क निर्माण कराया जाना आवश्यक है जिसमें रू0 12.00 लाख का व्यय अनुमानित है । उक्त चहारदीवारी के निर्माण पर रू0 12.00 लाख का व्यय विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से वहन किया जायेगा ।

वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से चहारदीवारी के निर्माण कराये जाने एव विश्वविद्यालय के निजी श्रोतों से प्राप्त आय से व्यय किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0189:4 कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत Establishment of Centre for Training, Research and production of Biofertilizer & Biopesticide formulations for the benefit of farmers of eastern U.P." परियोजना को इस विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किय जाने पर विचार एव निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा सर्वसम्मति से कृषि नेदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत Establishment of Centre for Training, Research and production of Biofertilizer &Biopesticide formulations for the benefit of farmers of eastern U.P."परियोजना को कृषि निदेशालय उ0प्र0 द्वारा दिये ग्ये गाइड लाइन के अनुसार विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0189:5 **उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत Establishment of feed analysis and quality control laboratory पर विचार एव निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत Establishment of feed analysis and quality control laboratory परियोजना को दिये गये गाइड लाइन के अनुसार विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने की कार्योत्तर संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0189:6 **डा0 धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्राध्यापक कम सह अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय (परिसर) आजमगढ की पूर्व सेवाओं व प्राप्त वेतन के आधार पर छठे वेतन आयोग के अनुरूप मूल वेतन संरक्षित किये जाने पर विचार एव निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त डा0 धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्राध्यापक कम सह अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय (परिसर) आजमगढ को वेतनबैण्ड रू0 37400–67000 ए0जी0पी0 रू0 10000/–में मूल वेतन नियमानुसार योगदान तिथि 14–9–2020 को संरक्षित करने एवं कार्यभार ग्रहण करने के समय एक अतिरिक्त वेतनवृद्वि प्रदान किये जाने व पूर्व की सेवा को सेवानिवृत्तिक लाभों के प्रयोजनार्थ जोडे जाने की सैद्वान्तिक संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि उक्त की अनुमति नियमानुसार शासन से प्राप्त करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय ।

वित्त उप समिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0189:7 **विश्वविद्यालय का 22वां दीक्षान्त समारोह माननीय कुलाधिपति महोदया की अनुमति से दिनांक 14.03.2021 को नियत है।उक्त दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप कृषि शिक्षा, शोध, प्रसार प्रबंधन एवं नीति नियोजन के क्षेत्र में अति विशिष्ट एवं विस्मरणीय योगदान देने वाले किसी विशिष्ट व्यक्ति को डाक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे विचार एव निर्णय।**

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय का 22वें दीक्षान्त समारोह दिनांक 14–03–2021 में विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप कृषि शिक्षा, शोध, प्रसार प्रबंधन एवं नीति नियोजन के क्षेत्र में अतिविशिष्ट एवं विस्मरणीय योगदान के लिए प्रोफेसर रमेश चन्द्र, मेम्बर नीति आयोग , गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को डाक्टर आफ साइंस की मानद उपाधि से विभूषित किये जाने के अनुमोदन प्रदान किया गया ।

प्रस्तावसं0189:8 प्रदेश के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों मे डिजिटल इंफास्ट्रक्चर, ई–लर्निंग रिर्सोसेज, डिजिटल लाइब्रेरी, वीडियो लेक्चर के रिकार्डिंग के लिये सुसज्जित स्टूडियो आदि अवस्थापना सुविधाये विकसित करने के उद्देश्य से माननीया श्री राज्यापाल/कुलाधिपति महादया द्वारा बनाये गये "उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विकास संगठन" सोसाइटी की सदस्यता मे आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के प्रतिभाग किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालयों मे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई–लर्निंग रिर्सोसेज, डिजिटल लाइब्रेरी, वीडियोलेक्चर के रिकार्डिंग के लिये सुसज्जित स्टूडियो आदि अवस्थापना सुविधायें विकसति करने के उद्देश्य से माननीया श्री राज्यापाल/कुलाधिपति महोदया द्वारा बनाये गये"उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विकास संगठन" सोसाइटी की सदस्यता में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के प्रतिभाग किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

प्रस्तावसं0189:9 उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या में Ph.D. की उपाधियों का Education Division of ICAR के गाइडलाइन के अनुसार नामकरण परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एवं निर्णय।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या मे Ph.D. की उपाधियों का Education Division of ICAR के गाइडलाइन के अनुसार Ph.D.(Fruit Science) का Ph.D.(Horticulture) FruitScience,Ph.D.(VegetableScience) का Ph.D.(Horticulture)VegetableScience तथा Ph.D.(Silviculture and Agroforestry) का Ph.D.(Forestry) Silviculture and Agroforestry नामकरण परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

प्रस्तावसं0189:10 चालू शैक्षणिक सत्र में नवागन्तुक छात्रों को एकल रूम की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य परिसर के रिक्त आवासों में छात्रों को अधिवासित करने हेतु 200 नग तखत, 200 नग कुर्सी एवं 200 नग मेज के कय पर रू 12.00 लाख के अनुमानित व्यय के विश्वविद्यालय श्रोत से वहन किये जाने परविचार एव निर्णय।

वित्त उप समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । वित उप समिति को अवगत कराया गया कि चालू शैक्षणिक सत्र मे विश्वविद्यालय के नवागन्तुक लगभग 200 छात्रों को कोरोना प्रोटोकाल के अनुपालन में एकल रूम की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। ऐसी स्थिति में मुख्य परिसर के रिक्त आवासो मे छात्रो को अधिवासित करने हेतु 200 नग तखत, 200 नग कुर्सी एवं 200नग मेज का कय किया जाना आवश्यक है जिसमे रू0 12.00 लाख का व्यय अनुमानित है । उक्त फर्नीचर के कय हेतु रू0 12.00 लाख का व्यय विश्वविद्यालय के निजी श्रोतों से प्राप्त आय से वहन किया जायेगा ।

वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उक्त फर्नीचरों का क्रय करने एव विश्वविद्यालय के निजी श्रोतों से प्राप्त आय से व्यय किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0189:11 **विद्वत परिषद की 282वी बैठक दिनांक 13.01.2021 के निर्णय सं. 282:1643 के परिपालन मे सहायक प्राध्यापक (पशुचिकित्सा एवं पशुपालन) के एक पद को अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के अधीन कीड़ा एवं खेलकूद अनुभाग मे सहायक प्राध्यापक, गेम्स एव स्पोर्टस के पद नाम से समान वेतनमान में परिवर्तित अर्हता निर्धारित कर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध मे विचार एवं निर्णय।**

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । वित उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत खेलकूद गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से विभिन्न खेलकूद कार्यकमों /प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता के आयोजन के निमित्त विश्वविद्यालय में संचालित स्नातक/परास्नातक छात्र छात्राओं के शिक्षण /प्रशिक्षण हेतु कोई पद सृजित नही है। विद्वत परिषद की 282वी बैठक दिनांक 13.01.2021 के निर्णय सं. 282:1643 के निर्णय के परिपालन में सहायक प्राध्यापक (पशुचिकित्सा एवं पशुपालन) के एक पद को अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के अधीन कीडा एवं खेलकूद अनुभाग में सहायक प्राध्यपक, गेम्स एवं स्पोर्टस के पद नाम से समान वेतनमान में परिवर्तित अर्हता निर्धारित कर स्थानान्तरित किया जाना है ।

वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उर्पयुक्त निर्णय के कम में पद परिवर्तन/स्थानान्तरण एव अर्हता निर्धारण किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव स0 189:12 विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित महामाया कृषि अभियन्त्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर के गोदावरी छात्रावास एवं कावेरी छात्रावास के शौचालय का अनुरक्षण कराये जाने एवं उस पर होने वाले सम्भावित रू10.00 लाख के व्यय को विश्वविद्यालय स्रोत से वहन किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उप समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । वित उप समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्थापित महामाया कृषि अभियन्त्रण एवं तकनीकी महाविद्यालय अम्बेडकरनगर के गोदावरी छात्रावास एवं कावेरी छात्रवास के शौचालय का अनुरक्षण का कार्य कराया जाना आवश्यक है क्योकि वर्तमान में इन छात्रावासों के शौचालय की स्थिति काफी खराब है एव प्रयोग में लाये जाने योग्य नही रह गये है । उक्त दोनो छात्रवासों के शौचालय के अनुरक्षण में रू0 10.00 लाख का व्यय सम्भावित है । उक्त अनुरक्षण पर होने वाला व्यय रू0 10.00 लाख का वहन विश्वविद्यालय के निजी श्रोतो से प्राप्त आय से किया जायेगा ।

वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से शौचालय का अनुरक्षण कराये जाने एव उस पर होने वाले व्यय को विश्वविद्यालय के निजी श्रोतों से प्राप्त आय से किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0189:13 विद्वत परिषद की 282 वीं बैठक के मद सं. 282:1642 एवं 283 वीं की बैठक के मद संख्या 283:1645 के निर्णय के कम में कृषि व्यवसाय प्रब्रन्धन विभाग Department of Agri Business Management) की स्थापना पदों हेतु न्यूनतन अर्हता निर्धारण तथा शिक्षण सत्र 2021–22 से 40 सीटों के साथ MBA in Agri Business पाठ्यकम हेतु शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने पर विचार एवं निर्णय।

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । वित्त उप समिति कों अवगत कराया गया कि विद्वत परिषद की 282 वींबैठक के मद सं. 282:1642 एवं 283 वीं को बैठक के मद संख्या 283:1645 के निर्णय के कम मे कृषि महाविद्यालय ,कुमारगंज अयोध्या में माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा सृजित 05 पदों "प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, टी0ए0/सहायक प्राध्यापक , सहायक प्राध्यापक हिन्दी एव सहायक प्राध्यापक" को स्थानान्तरित करतें हुए कृषि महाविद्यालय में कृषि व्यवसाय प्रबन्धन विभाग Department of Agri Business Management) की स्थापना हेतु सहमति प्रदान करते हुए उन पदों हेतु न्यूनतम अर्हता की संस्तुति प्रदान कर दी गयी है तथा शिक्षण सत्र 2021–22 से 40 सीटों के साथ MBA in Agri Business पाठ्यकम हेतु शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने की सहमति भी प्रदान कर दी गयी है ।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उर्पयुक्त के आलोक में कृषि महाविद्यालय ,कुमारगंज अयोध्या में Agri Business Management विभाग को खोलते हुए MBA in Agri Business पाठ्यकम के उपाधि हेतु शिक्षण सत्र 2021–22 मे शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने एव कृषि महाविद्यालय(College of Agrilculture) के पॉच पदों का स्थानान्तरण करते हुए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0 189:14 उद्यान एव वानिकी महाविद्यालय कुमारगंज अयोध्या मे बी.एस.सी. (हार्टीकल्चर) आनर्स की उपाधि कों ICAR 5th Deans Committee की संस्तुतियों के अनुसार बी.एस.सी. (आनर्स) हार्टीकल्चर के नाम से परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार एव निर्णय।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या में बी0एस0सी0 (हार्टीकल्चर)आनर्स उपाधि कोICAR Vth Deans Committee की संस्तुतियों के अनुसार बी0एस0सी0 (आनर्स)हार्टीकल्चर/ B.Sc. (Hons) Horticulture के नाम से परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

प्रस्तावसं0189:15 कृषि महाविद्यालय कुमारगंज अयोध्या मे बी.एस.सी. (कृषि) आनर्स की उपाधि को ICAR 5th Deans Committee की संस्तुतियों के अनुसार बी.एस.सी. (आनर्स) कृषि के नाम से परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध मे विचार एव निर्णय।

प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से कृषि महाविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या में बी0एस0सी0 (कृषि) आनर्स उपाधि को ICAR Vth Deans Committee की संस्तुतियों के अनुसार बी0एस0सी0 (आनर्स)कृषि/B.Sc.(Hons.) Agriculture के नाम से परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन किया गया ।

प्रस्तावसं0189:16 प्रसार निदेशालय के एटिक रिवाल्विंग फण्ड हेतु पारित बजट को संशोधित करने विषयक प्रस्ताव पर विचार एव निर्णय ।

वित्त उप समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । वित्त उप समिति को अवगत कराया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र आजमगढ द्वितीय हेतु विश्वविद्यालय द्वारा भूमि प्राप्त कर ली गयी है जिसके प्रक्षेत्र पर बुवाई का कार्य सम्पादित हो रहा है । उक्त केन्द्र के पास रिवाल्विंग फण्ड संचालित नही है । उक्त केन्द्र को सुगमतापूर्वक चलाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रसार निदेशालय के एटिक रिवाल्विंग फण्ड हेतु विभिन्न मदो मे पारित बजट रू0 1045000/– को संशोधित करते हुए पुनरीक्षित अनुमान रू0 1075000/–किया जाना आवश्यक है।

वित्त उपसमिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2020–21 मे प्रसार निदेशालय के एटिक रिवाल्विंग फण्ड हेतु विभिन्न मदो में पारित कुल बजट रू0 1045000/–को संशोधित करते हुए पुनरीक्षित अनुमान रू0 1075000/–किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0189:17 भारत सरकार के वित्त पोषण से जनपद जौनुपर में कृषि विज्ञान केन्द्र बक्शा ,जौनपुर में कार्यरत श्रीमती अल्काराव ,कनिष्ठ लिपिक एवं श्रीबरखू राम, चौकीदार प्रसार निदेशालय का माह जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक (हडताल अवधि) का वेतन भुगतान विषयक प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय ।

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरान्त वित्त उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से जनपद जौनुपर में कृषि विज्ञान केन्द्र बक्शा ,जौनपुर में कार्यरत श्रीमती अल्काराव ,कनिष्ठलिपिक एवं श्री बरखू राम, चौकीदार, प्रसार निदेशालय का माह जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक (हडताल अवधि) का वेतन भुगतान किये जाने हेतु यह संस्तुति प्रदान की गयी कि विश्वविद्यालय अपने स्तर से एक समिति बनाकर समिति की रिपोर्ट सहित प्रस्ताव वित उपसमिति की आगामी बैठक मे विचार एव निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अंनुमोदित किया गया ।

प्रस्तावसं0189:18 **एन0एच0 330ए जगदीशपुर–फैजाबाद मार्ग पर विश्वविद्यालय की ग्राम डोभियारा जनपद सुल्तानपुर में गाटा सं0 126 की स्थित भूमि में से 20 बीघा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करा रही पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0 को 03 वर्ष के लिए किराए पर दिये जाने पर विचार एवं निर्णय ।**

वित्त उपसमिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वित्त उपसमिति को अवगत कराया गया कि पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0 ने अपने पत्र दिनांक 4–1–2021 द्वारा एन0एच0 330ए जगदीशपुर– फैजाबाद मार्ग पर विश्वविद्यालय की ग्राम डोभियारा जनपद सुल्तानपुर में गाटा सं0 126 की स्थित भूमि में से 20 बीघा भूमि किराये पर लिये जाने का अनुरोध किया है जिसके अनुसार रू0 8000/–प्रति बीघा प्रतिवर्ष की दर से रू0 160000/–प्रति वर्ष पर 03वर्ष हेतु दिये जाने पर विश्वविद्यालय को कुल रू 480000/– की आय होगी । विश्वविद्यालय की उक्त भूमि बंजर अवस्था मे है एवं इस पर कृषि से संबंधित कोई कार्य विगत कई वर्षो से विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित नही किया जा रहा है ।

उर्पयुक्त के दृष्टिगत वित्त उप समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय की ग्राम डोभियारा जनपद सुल्तानपुर में गाटा सं0 126 की स्थित भूमि में से 20 बीघा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करा रही पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0 को 03 वर्ष के लिए रू0 160000/–प्रतिवर्ष की दर से किराये पर दिये जाने की सैद्वान्तिक सहमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त भूमि को किराये पर देने की अनुमति प्राप्त करने हेतु पूर्ण प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय तथा शासन से अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

वित्त उपसमिति की उक्त संस्तुति को प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया ।

बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई ।

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद

(डा0बिजेन्द्र सिंह)
कुलपति/ अध्यक्ष
प्रबन्ध परिषद

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या ।

पत्रांक एन0डी0यू0ए0टी0/8/प्र0परि0–189वी बैठक/लेखा/2021/1218 दिनांक 10–02–2021

प्रतिलिपि–माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(नीरज श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक/सचिव
प्रबन्ध परिषद